

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
बड़जलास -- मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 65/2022

प्रार्थी  
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी कम अभिहित  
अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 सम्पतराम भाटी पुत्र रामबिलास जाति माली गांव खुडखुडा तहसील मारवाड मुण्डवा जिला नागौर।  
फर्म:- बालाजी मिष्ठान भण्डार राईकाबाग बस स्टेण्ड, कुचेरा रोड संखवास तहसील मारवाड मुण्डवा।  
2 अनिल भाटी पुत्र रामबिलास जाति माली गांव खुडखुडा तहसील मारवाड मुण्डवा जिला नागौर।  
फर्म:- बालाजी मिष्ठान भण्डार राईकाबाग बस स्टेण्ड, कुचेरा रोड संखवास तहसील मारवाड मुण्डवा।

आदेश


दिनांक :08.09.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 22-02-2022 को मैसर्स बालाजी मिष्ठान भण्डार राईकाबाग बस स्टेण्ड, कुचेरा रोड संखवास तहसील मारवाड मुण्डवा पर खाद्य पदार्थ मावा पेडा मिठाई में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1786 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/371/एक्ट/2022/127 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ मावा पेडा मिठाई अनसेफ होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त मावा पेडा मिठाई की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ मावा पेडा मिठाई सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण सम्पतराम भाटी पुत्र रामबिलास जाति माली गांव खुडखुडा तहसील मारवाड मुण्डवा जिला नागौर तथा अनिल भाटी पुत्र रामबिलास जाति माली गांव खुडखुडा तहसील मारवाड मुण्डवा जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 23-08-2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 08.09.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से मावा पेडा मिठाई का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में मिठाई बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हैं तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/371/एक्ट/2022/127 दिनांक 03.03.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा पेडा मिठाई का नमूना अनसेफ होना पाया गया तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ मावा पेडा मिठाई की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ मावा पेडा मिठाई का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 सम्पतराम भाटी पुत्र रामबिलास जाति माली गांव खुडखुडा तहसील मारवाड मुण्डवा जिला नागौर अप्रार्थी संख्या 02 अनिल भाटी पुत्र रामबिलास जाति माली गांव खुडखुडा तहसील मारवाड मुण्डवा जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयवाधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मोहन लाल खटनावलिया)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर (राजस्थान)